APP-A
crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बूंदी

रणजीत कौर बनाम सरकार

किस्म मुकदमा प्रा०प० नं. 164 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10/24	पत्रावली पेश हुई। प्रा०प० प्रार्थिया द्वारा पेश किया। प्रा०प० के संबंध में TDR, बूंदी से रिपोर्ट तलब की गई। TDR, बूंदी से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक LR/24/4437 दि० 09.10.24 प्राप्त हुई। शा०मि० हैं। पत्रावली दर्ज रजि० होकर वास्ते निर्णय दि० 29/10/24 को पेश हो।	
29/10/24	प्रार्थिया उप०। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया, शा०मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद-पूर्ति दाखिल दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:43:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
164 / प्रा0प0 / 2024	23.10.2024	हरबिन्दर डी0 सिंह, आर0ए0एस0

हरजीत कौर पत्नी मंगल सिंह जाति सिख निवासी गोविन्द नगर, बून्दी तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

–प्रार्थीया

–बनाम–

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज०।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती।

निर्णय

दिनांक–29.10.2024

उपस्थित– प्रार्थीया स्वयं।
प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया के पति मंगलसिंह जाति सिक्ख निवासी गोविन्द नगर, बून्दी की ग्राम छत्रपुरा की भूमि खाता संख्या 922 रकबा 0.1154 है0 में प्रार्थीया को गलती से हरजीत कौर पुत्री मंगल सिंह कर रखा हैं जबकि प्रार्थीया के सम्पूर्ण दस्तावेज राशन कार्ड, केन्द्रीय स्मार्टकार्ड केन्टिन थल सेना, पहचान पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड में सही दर्ज हरजीत कौर पत्नी मंगल सिंह जाति सिक्ख निवासी गोविन्द नगर बून्दी हैं। इस कारण प्रार्थीया को अपने पति का शुद्धि करवाकर नाम हरजीत कौर पत्नी मंगल सिंह करवाने की कृपा करें।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार, बून्दी से जांच रिपोर्ट तलब की एवं प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार, बून्दी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक एल0आर0 / 2024 / 4437 दिनांक 09.10.2024 से अवगत कराया हैं कि ग्राम छत्रपुरा की आराजी खसरा संख्या 1648 / 69 रकबा 0.1154 है0 में हरजीत कौर पुत्री मंगल सिंह हिस्सा 8 / 15 कौम सिक्ख सा0 गोविन्दनगर बून्दी खातेदार हैं। मुताबिक नामान्तकरण संख्या 1615 दिनांक 28.06.2006 से हरजीत कौर [illegible] मंगलसिंह दर्ज हुआ हैं। उप पंजीयक कार्यालय बून्दी से प्राप्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर पाया कि हरजीत कौर पत्नी मंगल सिंह दर्ज [illegible] है। जो नामान्तकरण संख्या 1615 दर्ज करते समय पत्नी के स्थान पर [illegible] कर दिया। जो गलत हैं। इसलिये हरजीत कौर पुत्री मंगल सिंह के स्थान पर हरजीत कौर पत्नी मंगल सिंह शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं। जांच रिपोर्ट के साथ तहसीलदार, बून्दी द्वारा रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का छत्रपुरा, नामान्तकरण संख्या 1615 की प्रति, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2004 की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रेषित की हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:43:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2072–76 ग्राम छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान के खाता संख्या 922 पुराना

881 की आराजी खसरा संख्या 1648/69 रकबा 0.1154 में प्रार्थीया हरजीतकौर पुत्री मंगलसिंह हिस्सा 8/15 जाति सिख सा0 गोविन्दनगर बून्दी खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। पत्रावली के संलग्न पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2004 के अनुसार विक्रेता श्रीमती संतोष शर्मा द्वारा आराजी खसरा संख्या 69/1 रकबा 15 बिस्वा ग्राम छत्रपुरा क्रेता श्रीमति हरजीत कौर पत्नी मंगल सिंह जाति सिख निवासी गोविन्द नगर बून्दी को बेचान की हैं। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार, बून्दी द्वारा नामान्तकरण संख्या 1615 तस्दीक किया गया हैं। वक्त नामान्तकरण प्रार्थीया को राजस्व रेकार्ड में मंगल सिंह की पत्नी के स्थान पर आत्मजा दर्ज कर दिया गया हैं। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि लिपिकीय त्रूटि के कारण राजस्व रेकार्ड में बवक्त नामान्तकरण मंगलसिंह की पत्नी के स्थान पर आत्मजा अंकित कर दिया हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पहचान व अन्य दस्तावेज में भी उक्त मंगलसिंह प्रार्थीया के पति के रूप में ही अंकित हैं। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं जमाबंदी सम्वत् 2072–76 ग्राम छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान के खाता संख्या 922 पुराना 881 की आराजी खसरा संख्या 1648/69 रकबा 0.1154 में अंकित प्रविष्टी ''हरजीतकौर पुत्री मंगलसिंह हिस्सा 8/15 जाति सिख सा0 गोविन्दनगर बून्दी खातेदार'' के स्थान पर हरजीत कौर पत्नी मंगलसिंह हिस्सा 8/15 जाति सिख सा0 गोविन्दनगर बून्दी खातेदार'' किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। पालनार्थ तहसीलदार, बून्दी को तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:43:21 IST
Reason: SelfAttested